

कार्यालय नगर निगम, पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-मारवाड़, पिनकोड-306401)

(टेली-फेक्स:-02392-221301, ई-मेल cmcpali@yahoo.com, बेब-साईट mcpali.com)

कमांक/प.18() अग्नि/2025/143

दिनांक :- 14/10/2025

-:अनापति प्रमाण पत्र:-


प्रेषित :- अमृतराज सुशिलादेवी एज्युकेशनल सोसायटी, एड्रॉइट नॉलेज सैकेण्डरी स्कूल, सोडावास, जिला पाली।

विषय :- अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग :- आपके पत्र के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अमृतराज सुशिलादेवी एज्युकेशनल सोसायटी, एड्रॉइट नॉलेज सैकेण्डरी स्कूल, सोडावास, जिला पाली के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा हेतु बिल्डींग में लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एवं चालू हालत में पाये गये आवश्यकता पड़ने पर इन अग्निशमन यंत्रों को उपयोग में लिया जा सकता है। उक्त बिल्डींग को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. बिल्डींग के समस्त स्टॉफ व सिक््योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. बिल्डींग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयवधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24X7 घण्टे फॉयर प्रशिक्षण कर्मचारी रखना होंगे।
7. बिल्डींग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू, हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिषंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. यदि राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/ उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापति प्रमाण अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. बिल्डींग में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
11. बिल्डींग में साईन(सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. बिल्डींग में आने व जाने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
13. बिल्डींग में वाहनो को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डींग के व्यवस्थापक द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश कमांक 2020 पार्ट दिनांक 14.10.2023 व नेशनल बिल्डींग कोड 2002/2016 एवं नगर पालिका अधिनियम के तहत नियमों की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी।
15. बिल्डींग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली(जनरेटर) की रखनी होगी।
16. बिल्डींग में आपात सेवाओं के दूरभाष नम्बर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
17. व्यवस्थापक द्वारा प्लांट के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डींग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
18. बिल्डींग के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
19. बिल्डींग में रोप लेडर व दो रस्सा बिल्डींग के सभी टावर कि ऊँचाई जितना हर समय बिल्डींग में रखना होगा।
20. भूमि व बिल्डींग संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
21. प्रस्तावित अमृतराज सुशिलादेवी एज्युकेशनल सोसायटी, एड्रॉइट नॉलेज सैकेण्डरी स्कूल, सोडावास, जिला पाली को बिन्दु संख्या 1 से 20 तक पालना करनी होगी।



सहायक अग्निशमन अधिकारी

सहायक अग्निशमन अधिकारी

नगर निगम, पाली